सत्यमेव जयते

Government of
National Capital Territory
of Delhi

दिल्ली
मानव विकास रिपोर्ट
2013

बेहतर जीवन, समावेशी विकास

ACADEMIC FOUNDATION
NEW DELHI
www.academicfoundation.com

INSTITUTE FOR
HUMAN DEVELOPMENT
NEW DELHI
www.ihdindia.org

स्टियरिंग कमेटी

मुख्य सचिव, जीएनसीटीडी	अध्यक्ष
प्रोफेसर ए.के. शिवकुमार, सदस्य, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद	सदस्य
प्रोफेसर नीरजा गोपाल जयाल, जेएनयू	सदस्य
डॉ. के. सीता प्रभु, एचआरडी सेंटर, यूएनडीपी	सदस्य
प्रोफेसर टी.एस. पपोला, नेशनल फेलो, आईसीएसएसआर	सदस्य
प्रोफेसर रवि एस. श्रीवास्तव, जेएनयू	सदस्य
प्रोफेसर अलख एन. शर्मा, डायरेक्टर, आईएचडी	सदस्य
प्रधान सचिव (योजना), जीएनसीटीडी	सदस्य
प्रधान सचिव (स्वास्थ्य), जीएनसीटीडी	सदस्य
सचिव (शिक्षा), जीएनसीटीडी	सदस्य
सचिव (समाज कल्याण), जीएनसीटीडी	सदस्य
डायरेक्टर (योजना), जीएनसीटीडी	सदस्य सचिव

आईएचडी टीम

टीम लीडर व संपादक
प्रोफेसर अलख एन. शर्मा

सह संपादक
तनुका एंडो
नंदिता गुप्त
उषा जयचंद्रन

कोआर्डिनेटर
अभय कुमार
प्रीत रूस्तगी

कोर पर्सेप्शन सर्वे टीम
नंदिता गुप्त
अभय कुमार
राजेश शुक्ल (प्रधान सलाहकार)

कापी एडिटर
अनुपम मेहता

बैकग्राउंड पेपर राइटर
सुधांशु भूषण
देबबानी चक्रवर्ती
अमृता दत्त
तनुका एंडो
उषा जयचंद्रन
अभय कुमार
पापिया मजूमदार
सुमित मजूमदार
बलवंत एस. मेहता
श्रेया सरावगी
संदीप सरकार
शिवानी सेतिया

अन्य कंट्रीब्यूटर
संत लाल अरोड़ा
विकास दूबे
अभिषेक कुमार
गौरव मेहता
श्रावशी रे
समिधा सप्रा
डी.जी. श्रीराम
रामाश्रय मिंह
रश्मि सिन्हा

एक झलक

दिल्ली मानव विकास रिपोर्ट, 2013 का मूल विषय वस्तु है – "बेहतर जीवन, समावेशी विकास". इसमें मानव विकास के सभी बुनियादी पहलु शामिल हैं. मसलन, लोगों की क्षमताओं का विकास; उनके सामने उपलब्ध अवसरों में वृद्धि; आय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में हुई तरक्की में समाज के सभी वर्गों की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना; बुनियादी जन सुविधाएँ व्यापक स्तर पर पर सबको उपलब्ध कराना; और शहर के सभी बाशिंदों को अपने विकास के लिए समुचित और सुरक्षित माहौल की गारंटी करना. रिपोर्ट में इन सभी मुद्दों पर कमजोर और हाशिए के लोगों के नजरिए से गौर किया गया है. इसके साथ ही विभिन्न समूहों के बीच मौजूद गैरबराबरी और उसको पाटने के लिए किए गए उपायों की कारगरता पर भी विचार किया गया है.

रिपोर्ट में दिल्ली के मानव विकास की स्थिति पर दो नजरिए से गौर किया गया है : पहला, जमीनी सच्चाई और इस बारे में लोगों की सोच. लोगों की सोच को जानने के लिए लगभग 8000 परिवारों के बीच एक सर्वेक्षण किया गया और यह पूछा गया कि विकास के विभिन्न पहलुओं पर उनकी राय क्या है. दिल्ली का बाशिंदा होने के नाते उनकी अपेक्षाएँ और आकांक्षाएँ क्या हैं.

रिपोर्ट से प्रमुख बात यह सामने आती है कि 2006 में जारी दिल्ली मानव विकास रिपोर्ट के जारी होने के बाद उपरोक्त सभी मामले में दिल्लीवासियों के जनजीवन में काफी सुधार हुआ है. 2006 की रिपोर्ट में उठाए गए फौरी मुद्दों पर काफी प्रगति हुई है. शहर में बिजली लगभग सभी को उपलब्ध है. आधिकारिक आकलनों के मुताबिक हाल के वर्षों में गरीबी की दर में भारी कमी आई है, हालाँकि यह माना जाता है कि गरीबी मापने के लिए आधिकारिक मानक नाकाफी हैं और वे असमर्थता के सभी पहलुओं को नजर में नहीं रखते. साथ ही देशव्यापी मंदी के बावजूद दिल्ली के आर्थिक विकास की दर काफी तेज रही है. रोजगाार के मामले में स्थिति बेहतर हुई है. बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और सार्वजनिक परिवहन की हालत में भी काफी सुधार आया है. स्कूली और उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार हुआ है. इसी तरह सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के प्रति लोगों में काफी उत्साह देखा गया.

इन सब उपलब्धियों के बावजूद समता का मुद्दा अभी भी चिंता का प्रमुख बिंदु है. अधिकतर सेवाओं का लाभ सभी को समान रूप से नहीं मिल पाता. विभिन्न आय वर्गों और रिहाइश की जगह के आधार पर काफी असमानता बरकरार है. रोजगार और शिक्षा के मामले में औरत-मर्द का भेद साफ दिखता है. शहरवासियों की सुरक्षा के पक्का इंतजामों में भी कमी साफ झलकती है. इसके अलावा रोजगार में अनौपचारिक व असंगठित क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा है और यह स्थिति किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की गैरमौजूदगी के कारण ज्यादातर मजदूरों के हित में नहीं है.

रिपोर्ट के मुताबिक शहर में मकानों की कमी दूर होने के बावजूद बेघर-बार लोगों की फुटपाथ पर मौजूदगी, और झुग्गी-बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव में किसी तरह गुजर-बसर करने वालों की बड़ी तादाद न सिर्फ गैरबराबरी की, बल्कि मानव सम्मान के क्षरण की भी कहानी कहती है. दूसरे असुरक्षित समूह हैं : बाल मजदूर, फुटपाथी बच्चे, विकलांगता के शिकार लोग और

रिपोर्ट में इन सभी मुद्दों पर कमजोर और हाशिए के लोगों के नजरिए से गौर किया गया है... दिल्ली के मानव विकास की स्थिति पर दो नजरिए से गौर किया गया है : पहला, जमीनी सच्चाई और इस बारे में लोगों की सोच.

बुजुर्ग, महिलाएँ और बच्चे शहर में सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं.
यह रिपोर्ट मौजूद असमानताओं और उपलब्धियों को रेखांकित करती है और चुनौतियों से निपटने के लिए सुझाव पेश करती है.

वरिष्ठ नागरिक. शहर के मानव विकास में उनकी समुचित भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम अभी भी अधूरा है. आबादी के विभिन्न हिस्सों के जीवनस्तर में समरूपता लाने के लिए जरूरी है कि बुनियादी जनसुविधाएँ, खासकर साफ-सफाई के इंतजाम सभी लोगों को बिना भेदभाव के उपलब्ध कराए जाएँ. हालाँकि जन स्वास्थ्य सुविधाओं तक लोगों की पहुँच में सुधार हुआ है पर वह अब भी स्वीकृत मानकों के अनुरूप नहीं है. जन स्वास्थ्य सुविधाओं में जरूरतमंद लोगों की बेतहाशा बढ़ती भीड़, स्वास्थ्यकर्मियों की अपर्याप्तता और सब जगह अस्पतालों-दवाखानों के उपलब्ध न होने के कारण समस्या और गहरी हो जाती है. इन सबका असर सेवाओं की गुणवत्ता और लोगों के प्रति स्वास्थ्यसेवा के बर्ताव पर उल्टा होता है. शिक्षा के अवसर भी बढ़े हैं पर इनका लाभ समाज के सभी सामाजिक-आर्थिक समूह समान रूप से नहीं उठा पाते लिहाजा बहुतेरे लोग शिक्षा पूरी नहीं कर पाते.

सुरक्षा के इंतजाम में खामियाँ सभी के लिए चिंता का विषय हैं. विडंबना यह है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में अपराध की दर देश के दूसरे कई शहरों से कम है, वहीं दूसरी तरफ बुजुर्ग, महिलाएँ और बच्चे शहर में सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं. इस दिशा में सरकार को काफी काम करना पड़ेगा ताकि पुलिस-प्रशासन और कानून व्यवस्था में लोगों का भरोसा बहाल हो सके. बहरहाल, सर्वे में शामिल ज्यादातर लोग दिल्ली में रहना फायदेमंद मानते हैं. वे रोजगार, बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में शहर के जीवन से संतुष्ट हैं.

संक्षेप में, रिपोर्ट के अनुसार यह जरूरी है कि सबसे पहले तो मानव विकास के सूचकांकों में लिंग, आय और रिहाइश की जगह के आधार पर मौजूद गैरबराबरी पर समुचित ध्यान दिया जाए और उसमें कमी लाई जाए; दूसरे, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएँ और बुनियादी ढाँचागत सुविधाएँ बिना किसी भेदभाव के सब लोगों को मुहैया कराई जाएँ; तीसरी और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों, बुजुर्गों और औरतों समेत सभी कमजोर और जरूरतमंद समूहों की सुरक्षा का माहौल तैयार किया जाए. मानव विकास एजेंडा के तहत समाज के सभी तबकों को शामिल करना निहायत ही जरूरी है. इससे सभी के जीवन में समृद्धि आएगी.

दिल्ली के पास महान ऐतिहासिक विरासत है. आज यह 1 करोड़ 70 लाख लोगों को पनाह देने वाला जीवन से भरपूर शहर है. यह देश का एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक, वाणिज्यिक और विकास केंद्र होने के साथ-साथ भारत सरकार का भी केंद्र है. देश की राजधानी होने के नाते यहाँ देश भर से लोग भारी तादाद में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की आस सँजोए आते हैं.

यहाँ पुरातनता और आधुनिकता का अद्भुत मेल दिखाई देता है. दिल्ली के असंख्य ऐतिहासिक स्मारक अपने संग इतिहास का एक अंश और किस्सा साथ लिए जगह-जगह मौजूद हैं. उनके साथ-साथ अत्याधुनिक हवाई अड्डा, बेहतरीन रेल सेवा और सड़कों का जाल, स्टेडियम, संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र इसकी शान हैं. दिल्ली सपनों को साकार करने की संभावनाओं का भी शहर है. देश भर से लोग शिक्षा और रोजगार की तलाश में यहाँ खिंचे चले आते हैं. राजनीति के क्षेत्र में यह संघ सरकार और राज्य सरकार, दोनों का ही केंद्र है. दिल्ली को दो बार, 1951 और 1982 में एशियाई खेलों और हाल में 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का

गौरव हासिल है. मौजूदा समय में 1.70 करोड़ आबादी के साथ यह देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है.

दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय देश भर में सबसे ज्यादा है. देशव्यापी स्तर पर आय में गिरावट के बावजूद दिल्ली ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में ऊँचे दर से वृद्धि दर्ज की. हाल के वर्षों में गरीबी की दर में भी महत्त्वपूर्ण कमी आई है.

दिल्ली की औसत प्रति व्यक्ति सालाना आय 2012-13 में 2,00,000 रुपए थी जो देशव्यापी औसत से तीन गुना ज्यादा है. सन् 2005-6 से लेकर 2012-13 तक के सात सालों में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में सालाना 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. इसकी वजह से यह देश के सबसे धनी राज्यों में दूसरे नंबर पर आ गया. वर्ष 2012-13 में प्रति व्यक्ति आय में 7 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह वृद्धि महज 3 प्रतिशत थी. प्रति व्यक्ति आय में लगातार बढ़ोतरी के चलते गरीबी की दर कम होकर 2011-12 में 9.9 प्रतिशत रह गई, जबकि 2004-05 में लगभग 13 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे थे. मौजूदा गरीबी रेखा की आधिकारिक परिभाषा में जो भी खामियाँ हों, क्योंकि वह सभी तरह की असुरक्षाओं को नजर में नहीं रखती, यह तय है कि दिल्ली में गरीबी निश्चित तौर पर घटी है.

रोजगार के अवसर बढ़े हैं. नियमित और अनियमित, दोनों ही तरह के मजदूरों की मजदूरी बढ़ी है. औरतों की कार्य सहभागिता दर (work participation rate) मामूली तौर पर बढ़ी है पर उनकी भागीदारी पहले से काफी कम थी.

श्रम बाजार की बेहतरी ने दिल्ली में गरीबी में कमी लाने में मदद की है. वर्ष 1999-2000 से लेकर 2011-12 के बीच के अंतराल में 13 लाख नए लोग श्रमिक बल से जुड़े. लिहाजा दिल्ली में मजदूरों की संस्था बढ़कर 55.6 लाख हो गई. महिलाओं की कार्य सहभागिता दर 1999-2000 में 9 प्रतिशत से कम थी, वह 2011-12 में बढ़कर 11 प्रतिशत हो गई. इस दौरान महिलाओं की बेरोजगारी की दर में कमी आई. वर्ष 2004-05 को लेकर 2012-13 के बीच के सात सालों में नियमित मजदूरों की आमदनी में सालाना 5 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हुई. इस दौरान पुरुष मजदूरों के मुकाबले महिला मजदूरों की मजदूरी ज्यादा बढ़ी. अनियिमित मजदूरों की आमदनी में और तेजी से इजाफा हुआ और वह बढ़कर देशव्यापी दर का दोगुना हो गया. पिछले एक दशक में दिल्ली में आने वाले प्रवासियों की संख्या में ठहराव आया है. पर आज भी लगभग 75 हजार लोग हर साल रोजगार और आजीविका की तलाश में दिल्ली आते हैं. रिपोर्ट के अनुसार यह शहर अपने मूलवासी लोगों की बनिस्बत प्रवासी लोगों का बेहतर ख्याल रखता है. कई मामलों में प्रवासी लोग मूल निवासियों से ज्यादा खुशहाल हैं. श्रम बाजार में बेहतरी लोगों की सोच जानने के लिए किए गए सर्वे से भी सामने आती है. सर्वे में शामिल एक तिहाई लोगों का कहना था कि दिल्ली में पिछले तीन सालों में काम के अवसरों में सुधार हुआ है. इतने ही लोग यह मानते हैं कि रोजगार के अवसरों में कोई खास सुधार नहीं हुआ है. सबसे बड़ी बात यह है कि दो तिहाई लोगों का मानना है कि उनकी घरेलू आय में कोई खास बदलाव नहीं आया है.

पिछले सात सालों में आर्थिक प्रगति, प्रति व्यक्ति आय, रोजगार के नए अवसरों के सृजन, शिक्षा सुविधाओं व जन स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और बुनियादी नागरिक सुविधाओं तक पहुँच के मामले में काफी सकारात्मक विकास हुए हैं.

दिल्ली स्कूली शिक्षा और साक्षरता के मामले में देशव्यापी औसत से काफी आगे हैण फिर भी औरत और मर्द और अन्य सामाजिक समूहों के बीच असमानता बरकरार है.

शिक्षा के ज्यादातर सूचकों के आधार पर दिल्ली देश के बाकी हिस्सों से आगे है. दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में बच्चे दिल्ली पढ़ने आते हैं. यह इस बात का प्रमाण है कि यहाँ उच्चतर शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध हैं. पर यह भी सच है कि बुनियादी शिक्षा सहित शिक्षा के अन्य अवसरों तक अलग-अलग समूहों के लोगों की पहुँच में काफी असमानता मौजूद है. इससे उनकी भविष्य की संभावनाओं पर असर पड़ता है.

दिल्ली में साक्षरता की दर 86 प्रतिशत है. यह अखिल भारतीय स्तर (74 प्रतिशत) से काफी ज्यादा है. औसत रूप से दिल्लीवासियों को 7.5 साल की स्कूली शिक्षा हासिल है जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह औसत 4.8 साल का है. आबादी के लगभग पाँचवें हिस्से ने उच्च शिक्षा हासिल की है. दिल्ली में स्नातक और स्नाताकोत्तर शिक्षा पाने वाले लोगों का अनुपात 17 प्रतिशत है, जबकि देशभर में ऐसे लोगों की संख्या महज 7 प्रतिशत है. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सकल नामांकन दर (Gross Enrolment Rate) क्रमशः 127 और 108 प्रतिशत है. जबकि अखिल भारतीय औसत क्रमशः 116 और 85 प्रतिशत का ही है.

शिक्षा की सुविधा समाज के हर तबके को समान रूप से हासिल नहीं है. साक्षरता के मामले में औरत-मर्द के बीच भारी अंतर मौजूद है. उच्च शिक्षा में अनुसूचित जातियों और मुसलमानों की भागीदारी काफी कम है. इतना ही नहीं अनुसूचित जातियों की सकल नामांकन दर काफी कम है और प्राथमिक स्तर के आगे बढ़ने पर उसमें लगातार कमी दिखाई देती है. इससे जाहिर है कि स्कूली शिक्षा के एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाने में अनुसूचित जाति के बच्चों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है. 2013 में किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि निरक्षर आबादी का 70 प्रतिशत हिस्सा झुग्गी-झोपड़ियों, अनधिकृत कालोनियों, रिसेटलमेंट कालोनियों या शहरीकृत गाँवों में रहता है. जाहिर है इन इलाकों में शिक्षा की सुविधाओं में बेहतरी लाने के विशेष प्रयास करने होंगे.

पिछले तीन दशकों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के साथ-साथ लोगों की आयु सीमा में लगातार बढ़ोतरी हुई है. अस्पताल में दाखिले के मामले में दिल्ली के लोग सार्वजनिक सुविधाओं को ज्यादा तरजीह देते हैं. यह दूसरे महानगरों के ठीक उलट है. यहाँ तक कि लोग गैर-अस्पताली सेवाओं के लिए भी निजी के मुकाबले सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं.

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, दवाखानों, मोबाइल क्लिनिक, स्कूल हैल्थ क्लिनिक जैसी सुविधाओं के विस्तार के कारण दिल्ली में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं में भारी वृद्धि हुई है. और लोग भी इन सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर ज्यादा भरोसा करते हैं. वर्ष 2013 के नजरिया सर्वेक्षण से भी इन बातों की पुष्टि होती है. उसके मुताबिक राज्य की आबादी का तीन चौथाई हिस्सा सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को ज्यादा पसंद करता है. जहाँ तक कम आय वाले समूहों का सवाल है उनमें सौ प्रतिशत लोग सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर करते हैं. प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य केंद्रों के जरिए जीवनरक्षक दवाओं के वितरण में समानता लाने के लिए काफी महत्त्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं. यह लोगों को एक समान जन स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रति सरकार की कटिबद्धता का नतीजा है. स्वास्थ्य के प्रति जन स्वास्थ्य का

नजरिया "मिशन कंवर्जेंस" यानी स्वास्थ्य संबंधी नीतियों को तैयार करने में सामाजिक वास्तविकताओं को प्राथमिकता देने पर आधारित है.

पिछले दस साल में दिल्ली में बुनियादी सुविधाओं में भारी सुधार हुआ है. पर बिजली को छोड़कर अन्य सभी सुविधाओं तक पहुँच के मामले में गैरबराबरी बरकरार है. पहुँच में यह अंतर आय और बसाहट की किस्म पर आधारित है.

आवास : बढ़ती आबादी और प्रवासियों के निरंतर आगमन के बावजूद 2001 से 2011 के बीच दिल्ली में आवास की स्थिति सुधरी है. वर्ष 2001 में जहाँ 2,50,000 मकानों की कमी थी वहीं यह संख्या 2011 में कम होकर 1,50,000 हो गई. घरों की गुणवत्ता में भी सुधार आया है. घरों के स्वामित्व में बढ़ोतरी हुई है. सर्वे के दौरान किराए के मकान में रहने वाले लोगों ने भी संतोष जाहिर किया. उनमें से एक बड़ा हिस्सा भविष्य में अपना खुद का घर खरीदने का सपना सँजोए था. जवाहरलाल नेहरू शहरी पुर्नवास योजना, राजीव आवास योजना, कमजोर वर्गों के लिए आवास निर्माण योजना बेघर-बार लोगों के लिए रैन-बसेरा बनाने जैसी योजनाओं के सहारे दिल्ली को झुग्गी-झोपड़ी मुक्त शहर बनाने की पहल से आवास की समस्या को सुधारने में काफी मदद मिली है.

लेकिन आवास की स्थिति में सुधार के बावजूद यह सच्चाई है कि करीब पचास हजार लोग फुटपाथों पर जीवन बसर कर रहे हैं. ऐसे में इस समस्या की अनदेखी नहीं की जा सकती. विडंबना यह है कि काफी लोग बेघर हैं, काफी सारे परिवार एक कमरे के छोटे से घर में जीवन बसर करने को मजबूर हैं वहीं दूसरी ओर शहर के काफी सारे बड़े-बड़े मकान खाली पड़े हैं. झुग्गी-झोपड़ी वाली बस्तियों में जीवन नरक बना हुआ है, खास कर पानी और शौचालयों-सीवर की उपलब्धता की स्थिति बहुत ही खराब है. गरीब और बेघर लोगों की स्थिति और भी खराब है क्योंकि अनेक कारणों से उनका वजूद रोज नया खतरा झेलता है. रैन-बसेरों का हाल बुरा है और वे इतने कम हैं कि सभी बेघरों को सर्दी-गर्मी से बचा नहीं सकते. सो दिल्ली के लोगों को उनके साधनों के अनुरूप आवास की सुविधा उपलब्ध कराने की तत्काल जरूरत बनी हुई है. ये घर बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के साथ सम्मान के साथ मनुष्य के रहने लायक भी होने चाहिए.

पानी : दिल्ली के 80 प्रतिशत लोगों को उनके रहने की जगह पर पानी मिलता है. और यह महत्त्वपूर्ण सुविधा अपने लोगों को उपलब्ध कराने में दिल्ली ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है. गरीबों को पानी मुफ्त मिलता है पर उनके इलाकों में पानी की पूरी सप्लाई नहीं होती, खराब क्वालिटी का पानी आता है. गर्मियों में खासा बुरा हाल रहता है. शहर में पानी की कमी है और भूमिगत जल का स्तर भी तेजी से गिरता जा रहा है जो आने वाले वक्त में पानी की चिंताजनक स्थिति की ओर इशारा करता है. सर्वेक्षण बताता है कि पॉश कालोनियों और जेजे कालोनियों के बीच पानी सप्लाई के सवाल पर भारी अंतर मौजूद है. जेजे कालोनियों और अनधिकृत कालोनियों के क्रमशः 70 और 40 प्रतिशत लोग पानी की सप्लाई को लेकर असंतुष्ट थे तो पॉश कालोनियों के लोग इससे संतुष्ट थे.

साफ-सफाई : वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की लगभग 90 प्रतिशत

जन स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति लोगों का झुकाव साफ है. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ आयु सीमा भी बढ़ी है.

गैरबराबरी का जारी रहना चिंता की बात है. कुल रोजगार में अनौपचारिक और असंगठित रोजगार का हिस्सा बढ़ा है और शिक्षा के अवसरों, स्वास्थ्य सुविधाओं, आवास और बुनियादी सुविधाओं का लाभ सभी को बराबर नहीं मिल पाता है.

आबादी को शौच-सफाई संबंधी सुविधाएँ उनके आवास पर ही उपलब्ध थीं. बाकी के लोग खुले में शौच और स्नान करने को मजबूर थे. झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लगभग 50 प्रतिशत लोगों को ही उनके आवास पर शौच की सुविधा हासिल थी. इन बस्तियों के 56 प्रतिशत बच्चे खुले में शौच करते हैं जो अपने संग दूसरों के लिए भी रोग, सुरक्षा और पर्यावरण का संकट खड़ा करते हैं. सार्वजनिक शौचालय साफ-सफाई के बारे में लोगों की राय बहुत खराब है. सर्वेक्षण में शामिल आधे से ज्यादा लोग सार्वजनिक शौचालयों की साफ-सफाई को औसत से कम मानते हैं. झुग्गी बस्तियों समेत अनेक बस्तियों में अभी भी सीवर (गंदे पानी के निकास) की सुविधा नहीं है. वहाँ नालियाँ खुली हैं. लोग खुले में कूड़ा डालते हैं जिससे नालियाँ बंद हो जाती हैं. इससे निचले इलाके में रहने वालों के घरों तक में गंदा पानी भर जाता है, खास कर बरसात के दिनों में बाढ़ जैसी हालत बन जाती है.

बिजली : दिल्ली के लगभग सभी (99 प्रतिशत) घरों में बिजली पहुँच चुकी है. नजरिया सर्वेक्षण, 2013 के अनुसार शहर के 80 प्रतिशत लोग यहाँ की बिजली सप्लाई को औसत से बेहतर मानते हैं. बिजली क्षेत्र के सुधारों के कारण वर्ष 2002 के बाद बिजली की आपूर्ति में काफी सुधार हुआ है. पर कुछ गरीब बस्तियों के लोग बिजली की आपूर्ति को खराब, अनियमित, जब-तब गलत बिल देने वाला बताते हैं. बिजली के दाम जल्दी-जल्दी बढ़ने की शिकायत भी काफी लोगों ने की. सर्वेक्षण में शामिल 64 प्रतिशत लोगों की राय थी कि बिजली की आपूर्ति से जुड़े लोगों की सेवा का स्तर औसत से ऊपर है. पर शहरी गाँवों और जेजे कालोनियों के लोगों की राय इस बारे में कुछ अलग थी. वे ज्यादा असंतुष्ट थे.

परिवहन : परिवहन संबंधी ढाँचे में भारी सुधार और वृद्धि से दिल्लीवासियों को बहुत लाभ हुआ है. मेट्रो. लो-फ्लोर बस, अनेक फ्लाइओवरों का निर्माण और सड़कों के किनारे भरपूर रोशनी और बस शेल्टर के निर्माण से दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में जमीन-आसमान का फर्क आ गया है. नजरिया सर्वेक्षण, 2013 में भी यही बात सामने आई कि दिल्ली के ज्यादातर लोग मेट्रो और सार्वजनिक बस सेवा जैसी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का ही इस्तेमाल करते हैं. काफी सारे लोग स्कूल-कॉलेज या अपने काम की जगह पैदल चलकर ही जाते हैं. पर सड़कों पर अभी भी निजी वाहनों ने ही ज्यादा जगह छेंक रखी है. जाहिर है कि अभी भी सार्वजनिक परिवहन पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है. पैदल चलने वालों और साइकिल जैसे बिना मोटर वाले वाहनों का चलन बढ़ाने के लिए ज्यादा सुविधाएँ देने की बात भी सामने आई. लोग सस्ता होने के चलते बस की सवारी ज्यादा पसंद करते हैं पर सभी जगहों के लिए बस सेवा का न होना और भीड़भाड़ ज्यादा होना समस्या बना हुआ है. पुरुषों को बस में ज्यादा समय लगने और बसों की उपलब्धता की शिकायत थी तो महिलाओं को कंडक्टर-ड्राइवरों और साथी पैसेंजरों का व्यवहार बुरा लगता है. जाहिर है कि बस ड्राइवरों, स्टाफ और यात्रियों को लिंगभेद के प्रति जागरूक बनाने की जरूरत है. मेट्रो को दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में एक सुखद चीज माना गया. सफाई और आरामदेह सफर इसकी दो सबसे

उल्लेखनीय खासियत हैं. पुरुषों का मानना था कि यह यात्रा का सुरक्षित साधन है जबकि महिलाओं ने अलग महिला डिब्बा जोड़ने को अच्छा फैसला बताया. यह चीज सुरक्षा के बारे में पुरुष और स्त्री के अलग-अलग नजरिए को रेखांकित करता है. पर यहाँ भी ज्यादा भीड़भाड़ और सभी स्टेशनों पर शौचालयों की सुविधा न होने की शिकायत थी.

सड़क और स्ट्रीटलाइट : सर्वेक्षण में शामिल सिर्फ एक तिहाई लोगों ने ही अपने इलाके की सड़कों को अच्छा बताया. नई दिल्ली जिले के अधिकतर लोगों ने अपने यहाँ की सड़कों को अच्छा बताया जबकि उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व जिलों के लोगों ने सड़कों को खराब बताया. क्षेत्र विशेष के हिसाब से लोगों की अलग राय से साफ है कि जेजे कालोनियों और अनधिकृत कालोनियों की सड़कें सबसे खराब हालत में हैं. पर दिल्ली की सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइटों की स्थिति में सुधार की बात सबने स्वीकार की. राष्ट्रमंडल खेलों के समय इस पर खास ध्यान दिया गया. सर्वेक्षण में शामिल 58 प्रतिशत लोग इसमें सुधार की बात स्वीकार करते हैं. पर फोकस ग्रुप चर्चा में यह बात सामने आई कि गरीब बस्तियों में अक्सर अंदर की सड़कें नहीं बनी हैं. रात में वहाँ स्ट्रीट लाइट भी नहीं जलती. यह बात ध्यान देने की है कि परिवहन से जुड़ी ज्यादातर चीजें महिलाओं की सुरक्षा से भी जुड़ी हैं और इस बारे में फैसला करते वक्त इस बात का खयाल रखना जरूरी है.

अगर हम मानव विकास के पैमाने से देखें तो साफ है कि अनेक मोर्चों पर दिल्ली ने काफी प्रगति की है पर इसे अपनी सुविधाओं तक समाज के हर वर्ग की पहुँच बनाने के लिए अभी भी काफी काम करने हैं. अब अगले हिस्से में हम दिल्ली के सभी लोगों को मानव विकास के दायरे में लाने की चुनौतियों और जरूरतों की चर्चा करेंगे.

अनौपचारिक रोजगार में बढ़ोतरी से दिल्ली के अधिकांश मजदूरों की परेशानियाँ बढ़ गई हैं.

यह बात इस चीज से भी जाहिर होती है कि दिल्ली के 85 प्रतिशत मजदूर अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं. इसका व्यावहारिक मतलब है कि इन्हें औपचारिक क्षेत्र की तुलना में खराब स्थितियों में और कम मजदूरी पर काम करना होता है. कुल मजदूरों के तीन चौथाई और अनौपचारिक क्षेत्र के 97 प्रतिशत मजदूरों को किसी किस्म की सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है. इतना ही नहीं, नियमित काम करने वाले मजदूरों के भी एक हिस्से को किसी तरह का लिखित नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है. उन्हें भी कोई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं होती. कुछ काम तो ज्यादा ही असुरक्षित किस्म के होते हैं, जैसे सेल्स (खासकर खुदरा बिक्री) और सेवा क्षेत्र में काम करने वाले, घरेलू नौकर, वाहन चालक, ठेलेवाले, सिक्युरिटी गार्ड और निर्माण मजदूर. आशा के विपरीत विनिर्माण के क्षेत्र में मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. पर जैसा कि उनकी घटती उत्पादकता से स्पष्ट है कि उनकी हालत भी ठीक नहीं है. काफी सारे लोग सिर्फ पेट पालने के लिए ऐसे कामों में लगे हुए हैं. नजरिया सर्वेक्षण 2013 के अनुसार अकुशल और कम कमाई वाले काम में लगे मजदूरों के परिवार की आमदनी में स्थिरता का दावा बहुत कम लोगों ने किया.

शिशु मृत्यु दर के मामले में दिल्ली अभी भी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के स्तर से काफी पीछे है. स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रति व्यक्ति

लोगों ने पेय जल, बिजली, परिवहन और स्ट्रीटलाइट के क्षेत्र में सुधार को महसूस किया है. साफ-सफाई एक बड़ी समस्या है. इसमें सुधार के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है. एक साफ-सुथरे, आरामदेह और सुरक्षित सफर के जरिया के रूप में दिल्ली की मेट्रो सेवा की सफलता तारीफ के काबिल है.

नवजात मृत्यु दर में कमी लाने के लिए संकेंद्रित हस्तक्षेप जरूरी है.

झुग्गीवासियों का बहुतायत बुनियादी जन सुविधाओं से वंचित है. वे भीड़भाड़ के बीच रहते हैं और साफ-सफाई की सुविधाओं की भयंकर किल्लत का शिकार हैं.

उपलब्धता और स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या भी दिल्ली में कम है.

जन्म के समय या साल भर के अंदर मरने वाले बच्चों के अनुपात के हिसाब से अभी दिल्ली बाकी बड़े शहरों से काफी पीछे है. यहाँ अभी भी प्रति 1000 जन्म पर 28 बच्चों की मौत हो जाती है. सो यहाँ नवजात शिशुओं की हिफाजत और अस्पताल में ही प्रसव कराने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. सीधे गणित के हिसाब से देखें तो दिल्ली में प्राथमिक स्तर की क्लिनिकों और माध्यमिक स्तर के अस्पतालों की क्षमता काफी बढ़ी है पर दिल्ली में अभी भी प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता काफी कम है – यह प्रति 10000 व्यक्ति पर 2 से भी कम है. स्वास्थ्यकर्मियों की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है. प्रति दस हजार आबादी पर विशेषज्ञ समेत औसतन चार से भी कम सरकारी डॉक्टर उपलब्ध हैं. सो अस्पतालों-क्लिनिकों और स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या में जल्दी से वृद्धि किए जाने की जरूरत है. दिल्ली में जिस तरह से रोज नए लोग बाहर से आ रहे हैं और इलाज के लिए बाहर के मरीज भी आते हैं, उसे देखते हुए तो और जल्दी कदम उठाने होंगे.

हिंसा और भेदभाव से कमजोर समूहों की सुरक्षा का सवाल आज मानव विकास संबंधी चर्चा का अनिवार्य और महत्त्वपूर्ण अंग बन गया है. इस हिसाब से भले ही आँकड़े दिल्ली के अपराध के बारे में बहुत डरावनी तस्वीर न भी बताते हों तब भी सच्चाई यही है कि यहाँ के लोग, खासकर महिलाएँ खुद को सुरक्षित नहीं मानतीं. आँकड़ों के लिहाज से बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी एक डरावनी तस्वीर उभरती है.

नजरिया सर्वेक्षण, 2013 और फोकस ग्रुप की चर्चाओं के अनुसार कारगर स्ट्रीट लाइट और साफ-सुरक्षित सार्वजनिक शौचालय (खासकर गरीब बस्तियों में) न होने से नगर योजना की कमियाँ साफ दिखती हैं. इसमें महिलाओं के नजरिए से चीजों को देखने के प्रयास में कमी साफ झलकती है. इससे सार्वजनिक स्थलों पर हिंसा का खौफ बढ़ता है और इसका असर गरीब लोगों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों जैसे आर्थिक रूप से कमजोर और असुरक्षित समूहों पर उलटा पड़ता है.

नजरिया सर्वेक्षण, 2013 से यह बात सामने आती है कि एक तिहाई लोग दिल्ली को सुरक्षा के सवाल पर 'अच्छा' और 'बहुत अच्छा' मानते हैं पर 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग महसूस करते हैं कि पिछले कुछ सालों में यहाँ अपराध बहुत बढ़ गए हैं. यह सर्वेक्षण दिल्ली में दिसंबर 2012 में हुए सामूहिक बलात्कार कांड के तत्काल बाद कराया गया था और शायद इससे भी लोग कुछ ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे होंगे. इसके बावजूद 55 प्रतिशत लोगों ने अपने मोहल्ले और इलाके को सुरक्षित या बेहद सुरक्षित माना था. अधिकांश औरतें सार्वजनिक स्थलों को सुरक्षित नहीं मानती थीं. काम की जगह और सार्वजनिक परिवहन को सबसे असुरक्षित माना गया. अल्पसंख्यक समूहों, बुजुर्गों और बच्चों को सबसे कमजोर और असुरक्षित माना गया. यह भी पाया गया कि लोग पुलिस से असंतुष्ट हैं. वे उन तक पहुँच और उनके व्यवहार को संतोषजनक नहीं मानते.

झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले चार लाख गरीब लोगों के लिए उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का हाल बुरा है. बिजली छोड़कर

अन्य बुनियादी सुविधाओं के मामले में वे शेष दिल्ली से पीछे हैं.

2011 की जनगणना भी झुग्गी बस्तियों के मामले में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के भारी अंतर को रेखांकित करती है. आवास परिसर में शौच और स्नानघर की सुविधा के मामले में अगर मलिन बस्तियों और औसत दिल्ली के बीच 38-40 प्रतिशत अंकों का अंतर है तो पानी की उपलब्धता के मामले में यह अंतर 25 अंकों का है. सिर्फ बिजली के मामले में मलिन बस्तियों के लोग भी बाकी दिल्ली वालों के बराबर दिखते हैं. अपने आवास परिसर में बिजली, पानी और शौचालय-स्नानघर की सुविधा अगर 76 प्रतिशत दिल्लीवासियों को उपलब्ध है तो वहीं मलिन बस्तियों में रहने वाले 44 प्रतिशत लोगों को ही यह सुविधा मिल पाई है. मकान और उसमें भी अच्छे और रहने योग्य मकान के मामले में भी मलिन बस्तियाँ बाकी दिल्ली से ज्यादा पीछे नहीं है. यहाँ अनुपात क्रमशः 97 और 90 प्रतिशत का है. पर जाहिर तौर पर अधिकृत कालोनियों और मलिन बस्तियों के मकानों की तुलना नहीं हो सकती और ना ही यह उचित है.

खुले में कूड़ा डालने, शौच करने और नालियाँ (खासकर मलिन बस्तियों में) खुली होने तथा भूमिगत पानी के प्रदूषित होते जाने से पर्यावरण संबंधी कई परेशानियाँ पैदा हो रही हैं.

पानी की उपलब्धता के मामले में दिल्ली की जीवनरेखा यमुना नदी मानव बस्तियों से निकलने वाले गंदे नालों के बिना शोधित पानी और औद्योगिक कचरे से प्रदूषित हो चुकी है. खुले में शौच के चलते मानव मल भी नालियों से होकर नदी में पहुँच जाता है. इससे आसपास का वातावरण तो प्रदूषित होता ही है. दिल्ली के बहुत से इलाकों के भूमिगत पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक है या यह खारा है. सो सरकार को यमुना एक्शन योजना के जरिए काम शुरू करके इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए (यह काम दो चरणों में किया जा रहा है और तीसरा चरण भी शुरू होने वाला है). इसके साथ ही नदी के प्रदूषण के बारे में जन चेतना जगाने की भी जरूरत है.

मानव विकास के मोर्चे पर मौजूद कई तरह की चुनौतियों और समस्याओं के बावजूद यह जानना उत्साह बढ़ाता है कि दिल्ली के लोग मोटे तौर पर अपने जीवन से संतुष्ट हैं. नजरिया सर्वेक्षण, 2013 में रोजगार, शिक्षा, और स्वास्थ्य समेत निजी सवालों पर उन्होंने जो राय व्यक्त की उससे यही निष्कर्ष निकलता है. सबसे कम आमदनी समूह के भी 64 प्रतिशत लोग अपने जीवन की स्थिति को लेकर संतुष्ट मिले.

उम्र, लिंग, सामाजिक समूह, बस्ती के प्रकार और लोगों के मूल निवास के हिसाब से उनके संतुष्ट होने के स्तर में जरूर अंतर मिला पर वह इतना बड़ा नहीं था. सबसे बड़ा अंतर विभिन्न आय समूह की राय में दिखा. सबसे अधिक आय वाले समूह के 85 प्रतिशत लोग अपने जीवन से संतुष्ट मिले तो सबसे कम आय वालों में ऐसा महसूस करने वाले 64 प्रतिशत ही थे.

सभी समुदायों में एक बात समान थी—सरकारी नौकरी पाने की इच्छा, खासकर शिक्षक बनने या पुलिस विभाग में शामिल होने की. करीब तीस प्रतिशत लोगों का मानना था कि दिल्ली में

साफ-सफाई के साथ-साथ मानवीय मर्यादा, सुरक्षा और पर्यावरण के संकट के मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है.

दिल्ली के ज्यादातर लोग मोटे तौर पर अपने जीवन से संतुष्ट हैं.

मानव क्षमता में विस्तार के लिए रोजगार को नियमित करना होगा, सबको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करानी होगी, महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना होगा और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना होगा.

नौकरियों की संख्या और गुणवत्ता में कोई खास बदलाव नहीं आया है जबकि तीस प्रतिशत के अनुसार उसमें काफी सुधार आया है. इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 60 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने अपनी घरेलू आय को स्थिर माना. सिर्फ जिन घरों का मुखिया कम आमदनी वाले अकुशल काम करता था उनकी राय इससे अलग थी.

अपने स्वास्थ्य के बारे में संतुष्टि का स्तर उम्र बढ़ने के साथ ही कम होता पाया गया. बच्चों की शिक्षा के स्तर से संतुष्ट होने वालों का अनुपात तो 90 प्रतिशत तक था. आमदनी का हिसाब बढ़ते जाने के साथ संतुष्टि का स्तर भी बढ़ता गया. तकनीकी और पेशेवर पाठ्यक्रमों से संतुष्टि का स्तर और भी अधिक था. अस्सी प्रतिशत से ज्यादा उत्तरदाता इन्हें औसत से बेहतर मानते थे. जहाँ तक छात्रों का सवाल है तो शिक्षा के स्तर को लेकर सरकारी स्कूलों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की तुलना में ज्यादा असंतुष्ट थे.

नजरिया सर्वेक्षण, 2013 का एक बहुत दिलचस्प नतीजा विभिन्न सरकारी विभागों के प्रति लोगों का नजरिया है जो उनके अपने अनुभव पर आधारित था. उन्हें सबसे अच्छा व्यवहार दिल्ली मेट्रोवालों का लगा, फिर बिजली विभाग का, फिर दिल्ली परिवहन निगम का नंबर आता है. लोगों को दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली यातायात पुलिस, दिल्ली नगर निगम के बाद सबसे खराब व्यवहार दिल्ली पुलिस का लगा. समय गुजारने का सबसे लोकप्रिय तरीका टीवी देखना पाया गया (63 प्रतिशत), इसके बाद दोस्तों से मेल-जोल (53 प्रतिशत), और सोने (33 प्रतिशत) का नंबर आता है. पढ़ने की आदत सबसे ज्यादा सबसे कम उम्र वालों में मिली या फिर सबसे अधिक उम्रवालों (60 से ऊपर) में.

निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली की आमदनी बढ़ी है, आर्थिक अवसर बढ़े हैं और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के साथ क्षमता बढ़ाने वाले उपाय भी बढ़े हैं. पर ग्लोबल सिटी या सबको समाहित करने वाले शहर के तौर पर विकसित होने के लिए अभी इसे काफी कुछ करना होगा.

गैर-बराबरी को कम करने पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. इसके लिए व्यवस्था को ज्यादा औपचारिक बनाने, सामाजिक सुरक्षा को सर्वव्यापी बनाने, औरतों के आर्थिक उत्थान, और मानव विकास के मोर्चे पर सुधार के लिए जरूरी सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करने जैसे मुद्दों पर जोर देना होगा. निम्न उत्पादकता वाले क्षेत्रों और अनौपचारिक क्षेत्र में आमदनी बढ़ाने के उपाय करने होंगे. और उपलब्ध कानूनों पर बेहतर ढंग से अमल में लाने को प्राथमिकता देनी होगी ताकि असुरक्षित पेशों में काम करने वाले मजदूरों की आजीविका को सुरक्षा और प्रोत्साहन मिल सके. आवास, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के समान वितरण और उपलब्धता के मामले में और सुधार होना चाहिए. शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में संरचनात्मक सुविधाएँ और कर्मियों की संख्या बढ़नी चाहिए. इसके साथ ही इनकी सेवा की गुणवत्ता भी सुधरनी चाहिए. सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति कैसी हो रही है इसकी समय-समय पर सार्वजनिक निगरानी एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है.

दो और महत्त्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए : सभी नागरिकों की सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ाना. ये दोनों चीजें समाज के हर वर्ग के लिए जरूरी और प्रासंगिक हैं. इसमें बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द का भेद कोई मायने नहीं रखता. विश्व-स्तरीय शहर बनने के लिए जरूरी है कि लोगों की भागीदारी वाली नई योजनाएँ चलें, सार्वजनिक व्यवस्था के संचालन में कुशलता आए और शासन अपना काम पूरी मुस्तैदी से करे.

निःसंदेह, उपरोक्त समस्याएँ अकेले दिल्ली की नहीं हैं – पूरे देश और दुनिया में समृद्धि की आपाधापी में इस तरह की असमानताएँ उभरी हैं. पर आबादी के एक बड़े हिस्से के निम्न जीवन स्तर का मामला दिल्ली में ज्यादा ही साफ और अखरने वाला बन गया है क्योंकि यहाँ संरचना और बुनियादी सुविधाओं में भारी वृद्धि हुई है और काफी समृद्धि आई है. मानव संसाधन और अन्य संसाधनों के मामले में दिल्ली जितनी अमीर है, इसे देखते हुए सभी वर्गों के लोगों और विभिन्न एजेंसियों की भागीदारी के जरिए इन सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है. इस मामले में दिल्ली सरकार को ही पहल करनी होगी. अगर दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने की आकांक्षा को पूरा करना है तो समृद्धि के फायदों को कमजोर लोगों को भी उपलब्ध कराना होगा और इसे और अधिक समावेशी बनाना होगा.

एक समावेशी विश्व-स्तरीय शहर के निर्माण के लिए लोगों की भागीदारी, सक्षम सामाजिक संस्थाओं का गठन और कल्पनाशील उपाय जरूरी हैं.